राजस्थान सरकार
युवा मामले एवं खेल विभाग

जयपुर, दिनांकः 11 OCT 2022

क्रमांक प. 1(20)खेल/2014

सचिव,
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद,
जयपुर।

विषयः—राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम—2022 की संशोधित अधिसूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम—2022 की सक्षम स्तर से अनुमोदित संशोधित प्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रामबाबू सैनी)
शासन उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
युवा मामले एवं खेल विभाग

क्रमांक प. 1(20)खेल/2014 जयपुर दिनांक 11 OCT 2022

अधिसूचना

(राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम–2022)

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 1(20)खेल/2014 दिनांक 16.02.2016 के अधिक्रमण में राज्यपाल, युवा मामले एवं खेल विभाग के के नियन्त्रणाधीन वित्तीय सहायता अनुदान अभिदाय, ईनाम, सहायता, उपहार, दान इत्यादि के प्रदाय हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है :–

राजस्थान क्रीडा सहायता अनुदान नियम–2016 में संशोधन

1. संक्षिप्त नाम :– इन नियमों का नाम राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2022 है।
2. प्रारम्भ :– ये तुरन्त प्रभावी होंगे
3. परिभाषाएं :– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों इन नियमों में –
   (क) अनुदान से सहायता अनुदान अभिदाय, ईनाम, सहायता, उपहार, दान इत्यादि अपेक्षित है।
   (ख) ''मंत्री'' से खेल मंत्री राजस्थान अभिप्रेत है। जिसमें खेल राज्य मंत्रीं और खेल उप मंत्री भी सम्मिलित है।
   (ग) ''सचिव'' से राजस्थान सरकार में युवा मामले एवं खेल विभाग का प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव अभिप्रेत है।
   (घ) ''परिषद'' से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर अभिप्रेत है।
   (ड) ''क्रीड़ा'' से अभिप्राय समस्त प्रकार की खेल गतिविधियों व इनके अन्तर्गत आयोजित स्पर्धाओं से है।
   (च) खिलाडी शब्द से आशय :– सामान्य खिलाडी, निःशक्त खिलाडी (डीफ व डम्ब, नेत्रहीन पैरालिम्पिक) जूनियर एवं सब–जूनियर खिलाडी।

अथवा

- उत्कृष्ट और सराहनीय खिलाडियों / खेल प्रशिक्षकों के समस्त प्रवर्ग अभिप्रेत है जिनमें महिला खिलाडी/ खेल प्रशिक्षक भीं सम्मिलित है।

(छ) ''अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं'' –

1. ओलम्पिक खेल (ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन/पैरा ओलम्पिक्स/डेफ ओलम्पिक) (International committee of sports for deaf (ICDS) द्वारा आयोजित।
2. चार वर्षीय वर्ल्ड कप एवं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ अथवा International Blind Sports fedretion द्वारा किया गया हो।
3. एशियन गेम्स
4. कॉमनवेल्थ गेम्स

Scanned with OKEN Scanner

5. चार वर्ष के अन्तराल (चार वार्षीय) से आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैम्पियशिप जिसका आयोजन संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा किया गया हो।
6. एशियन चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
7. कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा किया गया हो।
8. साउथ एशियन गेम्स
9. साउथ एशियन चैम्पियनशिप

(ज) "राष्ट्रीय स्पर्धाएं" –
नेशनल गेम्स, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित नियमित राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताऐं।

(झ) "राज्य स्पर्धाएं" –
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित नियमित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताऐं।

(ञ) जिला/तहसील/पंचायत स्पर्धाए:–
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित नियमित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताऐं।

(य) अन्य क्षेत्रीय प्रतियोगिताऐं, विभागीय प्रतियोगिताऐं एवं परम्परागत रूप से पूर्व में चली आ रही प्रतियोगिताऐं :–
जैसें:– लोहागढ केसरी दंगल, लक्ष्मण पहलवान स्मृति कुश्ती दंगल, आडवानी मैमोरियल बॉस्केबाल प्रतियोगिता, हनुमानसिंह स्मृति हैण्डबाल प्रतियोगिता आदि जो खेल संघों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

4. पात्रता – वित्तीय सहायता के लिए विचार हेतु निम्नलिखित पात्र होंगें :–
   1. ऐसे क्रीड़ा निकाय जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय महासंघों या राज्य संघों से संबद्ध हो।
   2. राजस्थान राज्य कीडा परिषद या यथास्थिति जिला कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत निकाय।
   3. सोसायटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कीडा क्लब।
   4. खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक/अम्पायर/रैफरी जो कि राजस्थान के मूल निवासी हो अथवा ऐसे खिलाडी जो राजस्थान के मूल निवासी नही है, किन्तु राज्यसेवा में नियमित सेवारत है एवं राजस्थान के लिये खेलकर पदक प्राप्त करते है।

टिप्पणी :–

ऐसी कीडा संस्था /संगठन या व्यक्तिगत खिलाडी जिसने आवेदित स्पर्धा के लिए राजस्थान राज्य कीडा परिषद, किसी अन्य सरकारी विभाग, किसी अन्य स्त्रोत से पहले ही कोई सहायता प्राप्त कर ली हो या जिसे स्वीकृत कर दी गयी हो, उसी खेल प्रयोजन, जिसके लिए घोषणा की जानी है, के लिए किसी ऐसे अनुदान का पात्र नहीं होगा तथा इस विभाग से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् उसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्त्रोत से और सहायता/अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. आवर्ती अनुदान

आवर्ती अनुदान	सीमा जिस तक अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
5.1 रजिस्ट्रीकृत/ मान्यता प्राप्त संस्था/ विद्यालय या महाविद्यालय को खेल ओर कीडा प्रशिक्षण चलाने के लिए अनुदान ।	पहली बार अनुदान राशि पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्ती व्यय के 25% से अधिक नहीं होगा तथापि उपयुक्त मामले में यह प्रतिवर्ष 10% तक गुणावगुण के आधार पर बढाया जा सकेगा।
5.2 ऐसे विभिन्न संबंध क्रियाकलापों के लिए जो नियमों के अन्तर्गत नही आते हो किन्तु नियमित आधार पर चलाये जाते हो ।	प्रत्येक मामले गुणावगुण के आधार पर।

6. *अनावर्ती अनुदान और उसकी सीमा :–*

6.1 *कीडा निकायों द्वारा आयोजन/प्रतियोगिता /टूर्नामेन्ट*

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	5 देशों की टीमें	5.00 लाख
	6 देशों की टीमें	6.00 लाख
	7 देशों की टीमें	7.00 लाख
	8 देशों की टीमें	8.00 लाख
	9 देशों की टीमें	9.00 लाख
	10 देशों एवं अधिक की टीमें	10.00 लाख
राष्ट्रीय प्रतियोगिता	08 राज्यों की टीमें	3.00 लाख
	10 राज्यों की टीमें	4.00 लाख
	12 राज्यों की टीमें	5.00 लाख
राज्य प्रतियोगिता	8 जिलों से अधिक टीमें	1.00 लाख
	10 जिलों से अधिक टीमें	1.50 लाख
	12 जिलों से अधिक टीमें	2.00 लाख
जिला प्रतियोगिता	6 टीमें	0.50 लाख
	8 टीमें	0.75 लाख
	10 टीमें	1.00 लाख
अन्य क्षैत्रीय / विभागीय /पूर्व में चल रही प्रतियोगिता	10 टीमें	2.00 लाख

तहसील स्तर/ब्लॉक स्तर प्रतियोगिता	5 टीमें	0.15 लाख
पंचायत स्तर प्रतियोगिता	6 टीमे	0.10 लाख

नोटः–1 : The Rajasthan out of turn appointment to sports medal winners, (Ammendment) Rules2020 के नियम संख्या 3(i) की श्रेणी A, B व C में सम्मिलित खेल प्रतियोगिताओं में खेले जाने वाले खेलों का आयोजन कराने पर ही क्रीडा निकायों को उक्त अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

उक्त नियम, 2020 में खेल प्रतियोगिताओं के संबंध में किया जाने वाला कोई संशोधन इन नियमों पर भी प्रभावी होगा।

नोटः– 2 : किसी भी खेल में दो या दो से अधिक खेल संघ/महासंघ होने की स्थिति में उसे विवादित मानते हुए अनुदान नहीं दिया जाएगा।

6.2 उपकरणों एवं किटों के क्रय हेतु :–

1. व्यक्तिगत किट एवं उपकरण – तीरंदाजी, साईक्लिंग, निशानेबाजी, एथलेटिक्स एवं घुडसवारी खेलों के अतिरिक्त खेल में प्रत्येक मामले में रू. 1,00,000/– तक
2. व्यक्तिगत किट एवं उपकरण – तीरंदाजी, साईक्लिंग, निशानेबाजी, एथलेटिक्स एवं घुडसवारी हेतु प्रत्येक मामले में रू. 5,00,000/– तक

संबंधित मद हेतु पात्रता की शर्तेः–

1. राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. जूनियर व सीनियर वर्ग का हो।
3. सर्विसेज/रेलवे आदि अन्य विभागों को सम्मिलित नही किया जायेगा।
4. बिन्दु सं. 3(ज) में वर्णित स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर।

6.3 व्यक्तिगत प्रशिक्षण हेतु :–

1. राज्य के अन्दर– 30,000/– रू तक
2. राज्य के बाहर परन्तु देश के अन्दर– 75,000/– रू तक बिन्दु सं. 3(झ) में वर्णित राज्य स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर।
3. देश के बाहर– 3,00,000/– रू तक बिन्दु सं. 3(ज) में वर्णित राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक प्राप्त करने पर।

संबंधित मद हेतु पात्रता की शर्तेः–

1. राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. जूनियर व सीनियर वर्ग का हो।
3. सर्विसेज/रेलवे आदि अन्य विभागों को सम्मिलित नही किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6.4 खिलाडियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर

i) खिलाडी / प्रशिक्षणार्थी

300/– प्रतिदिन (अधिकतम तीस दिनों के लिए

(ii) खेल प्रशिक्षक

2,000/– प्रतिदिन राज्य स्तर के प्रशिक्षक को

5,000/– प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक को

10,000/– प्रतिदिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकं को

6.5 क्रीडा कार्यों का प्रकाशन, मोनोग्राफ, मेन्यूअल नियम/संशोधन के प्रकाशन

क. निम्न श्रेणी के क्रीडा प्रकाशन कार्य होने पर ही उपरोक्त अनुदान देय होगाः

1. किसी विशेष खेल से संबंधित प्रकाशन कार्य (खेल विवरणिका, नियम व शर्तें, खेल उपकरण, आधारभूत संरचनाओं संबंधित सूचनाऐं)
2. नवीन खेल विकास संबंधित सूचनाऐं
3. स्पोर्टस मेडीसन
4. खेल मनोविज्ञान
5. खेल आहार

(ख) प्रकाशन के व्यय का 50 प्रतिशत का भुगतान सहकारी प्रेस/राजकीय मुद्रणालय से लागत आकलन अनुसार किया जावेगा।

(ग) प्रकाशन की दस प्रतियां युवा मामले एवं खेल विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

6.6 राज्य के बाहर भारत में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अनुदान :–

1. विभाग द्वारा The Rajasthan out of turn appointment to sports medal winners, (Ammendment) Rules2020 के नियम संख्या 3(i) की श्रेणी A, B व C में सम्मिलित खेल प्रतियोगिताओं में खेले जाने वाले खेलों का आयोजन कराने पर ही क्रीडा निकायों को उक्त अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
2. आवास सुविधा निःशुल्क रू. 500/– प्रति सहभागी प्रतिदिन।
3. आवास एवं भोजन की सुविधा नही होने पर रू. 1500/– तक प्रति सहभागी प्रतिदिन।

6.7 (क) भारत से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीडा में भाग लेने वाले के लिए अनुदान :–

बिन्दु सं. 3(छ) में वर्णित अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर दोनों ओर का वायुयान किराया तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को $50 (पचास डॉलर) के समतुल्य रूपये प्रतिदिन।

टिप्पणीः–उपरोक्त मदों में यदि भारत सरकार द्वारा राशि दी जाती है तो राज्य सरकार द्वारा राशि देय नही होगी।

Scanned with OKEN Scanner

क. अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाऐं :–

- किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर – 5,00,000/– रू तक
- किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर – 3,00,000/– रू तक
- किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर – 2,50,000/– रू तक

ख. राष्ट्रीय स्पर्धाऐं :–

- प्रथम स्थान प्राप्त करने पर – 2,00,000/– रू तक
- द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर – 1,50,000/– रू तक
- तृतीय स्थान प्राप्त करने पर – 1,25,000/– रू तक

ग. राज्य स्पर्धाऐं :–

- प्रथम स्थान प्राप्त करने पर – 1,00,000/– रू तक
- द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर – 50,000/– रू तक
- तृतीय स्थान प्राप्त करने पर – 30,000/– रू तक

इस विषय पर साधारण नियम निम्न प्रकार होगेः–

1- The Rajasthan out of turn appointment to sports medal winners, (Ammendment) Rules2020 के नियम संख्या 3(i) की श्रेणी A, B व C में सम्मिलित खेल प्रतियोगिताओं में खेले जाने वाले खेलों को ही इस नियम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। उक्त नियम, 2020 में खेल प्रतियोगिताओं के संबंध में किया जाने वाला कोई संशोधन इन नियमों पर भी प्रभावी होगा।
उक्त नियम–2020 में खेल प्रतियोगिता के संबंध में किया जाने वाला कोई संशोधन इन नियमों पर भी प्रभावी होगा।

2- खिलाडियों को पुरस्कार राशि निम्न प्रकार देय होगी :–

- सीनियर वर्ग – 100%
- जूनियर वर्ग – 75%
- सब–जूनियर वर्ग – 50%

3- टीम खेल में उपरोक्त वर्णित व्यक्तिगत पुरस्कार राशि को गुणात्मक कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक खिलाडी को बराबर–बराबर देय होगी :–

(i) एक टीम में 2 खिलाडी होने पर–पुरस्कार राशि का डेढ गुना देय होगी।

(ii) एक टीम में 3 से 4 खिलाडियों के होने पर – पुरस्कार राशि का दो गुना देय होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) एक टीम में 5 से 10 खिलाडियों के होने पर – पुरस्कार राशि का तीन गुना देय होगी।

(iv) एक टीम में 10 से अधिक खिलाडियों के होने पर – पुरस्कार राशि का पांच गुना देय होगी।

(v) टीम खेलों स्पर्धाओं एवं व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं दोनों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के अंदर न्यूनतम 16 टीम/ प्रतिभागियों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न्यूनतम 12 टीम/प्रतिभागियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न्यूनतम 8 टीम/प्रतिभागियों का भाग लेना ईनामी राशि (अनुदान) हेतु आवश्यक होगा।

(vi) ओलम्पिक, राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों के अतिरिक्त अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एंव राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाडियों को एक प्रतियोगिता में प्राप्त पदकों में से **एक सर्वश्रेष्ठ पदक पर ही ईनामी राशि प्रदान की जावेगी।**

नोटः– टीम श्रेणी में उपरोक्त शर्ते अतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों पर लागू नही होगी।

6.7(ग) ओलम्पिक, राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों में राज्य के चयनित होने वाले खिलाडियों को तैयारी हेतु 10.00 लाख रू. का एकबारीय नगद अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

6.7(घ) भारत सरकार के नियमानुसार ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स व वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को पदक विजेता खिलाड़ी की पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत ईनाम राशि प्रदान किया जावेगा। उक्त के क्रम में सामान्य शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

1. खिलड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों की तैयारी हेतु व्यक्तिगत खिलाड़ी /टीम को न्यूनतम 180 दिन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया हो।
2. खिलाड़ियों द्वारा एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स व वर्ल्डकप/ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलों की तैयारी हेतु व्यक्तिगत खिलाड़ी/ टीम को न्यूनतम 60 दिन का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया हो।
3. खिलाड़ी का प्रशिक्षक से प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने का शपथ पत्र पेश करना होगा।
4. प्रशिक्षक का खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने हेतु खेल प्राधिकरण, भारत सरकार/खेल महासंघ/राज्य सरकार/राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में एक का नियुक्ति पत्र देना होगा।
5. प्रशिक्षक राजस्थान का मूल निवासी हो या राज्य के बाहर का प्रशिक्षक 3 वर्ष लगातार राज्य सेवा में नियमित सेवारत होना चाहिए।
6. प्रशिक्षकों को गत चार वर्ष की उपलब्धियों पर ईनामी राशि प्रदान की जावेगी।

नियम संख्या 6(7)(च)

खेलों इंडिया योजना में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलड़ियों को भी अन्य राष्ट्रीय पदक विजेता खिलड़ियों के समान नियमानुसार ईनामी राशि देय होगी।

Scanned with OKEN Scanner

6.8 क्रीड़ा के लिए मुख्यमंत्रीं /खेल मंत्री द्वारा घोषणा :–

ऐसी टीम या व्यष्टिक खिलाडी का व्यक्ति जो खेल क्रियाकलापों या क्रीड़ा के विकास के प्रति योगदान के कारण प्रशंसा का पात्र हो, का सम्मान करने हेतु समारोह आयोजित करने के लिए अनुदान :–

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त – 1,00,000/– रू तक
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त – 50,000/– रू तक
राज्य स्तरीय – 20,000/– रू तक

6.9 कीडा के लिये राष्ट्रीय समारोह आयोजित करने हेतु अनुदान :–

रू 1,00,000/– तक

6.10 खेल अनुदान द्वारा सृजित खिलाडी कल्याण कोष, हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुदान – रू. 10,00,000/– तक

6.11 आयोजकों को प्रत्याभूति धन प्रदत्त किया जाएगा यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मैच /टूर्नामेन्ट राजस्थान में आयोजित किया जाए – जितने के लिए सरकार सहमत हो

6.12 किसी ऐसे अनवरत क्रियाकलाप के लिए अनुदान जों इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हों किन्तु राज्य में खेल और क्रीड़ा की उन्नति के लिए आवश्यक समझा जाए– प्रत्येक मामलें में गुणावगुण के अनुसार ऐसे क्रियाकलापों हेतु रु2,00,000/– (दो लाख रुपये) तक की राशि प्रमुख शासन सचिव स्तर पर, रु.5,00,000/– (पांच लाख रुपये) तक की राशि मा0 मन्त्री महोदय के स्तर पर तथा इससे अधिक राशि का अनुमोदन मा0 मुख्य मन्त्री महोदय के स्तर पर लिया जाना आवश्यक होगा। इसमें संस्था एवं व्यक्तिगत दोनों को देय होगा।

7. **सांपत्तिक संस्थाऐं:–**

सांपत्तिक संस्थाऐं अर्थात ऐसी संस्थाएं जो राजस्थान सरकार के द्वारा न तो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन और न ही राजस्थान लोक न्याय अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम इत्यादि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इन नियमों के अधीन किसी आवर्ती अनुदान की पात्र नहीं होगी। तथापि नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपर्युक्त मामलों में अनावर्ती अनुदान किसी व्यक्ति के मामले में अधिकतम 2,000/– रू के अध्यधीन रहतें हुए मंजूर किया जा सकेगा अर्थात उसका प्रयोजन खेल और क्रीडा क्रियाकलाप से संबंधित हो।

8. **मंजूरी प्राधिकारीं :–**

प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ खेल विभाग – प्रति वर्ष 5,00,000/– रू तक आवर्ती माननीय खेल मंत्रीं महोदय – किसी व्यष्टिक मामले में प्रतिवर्ष 10,00,000 रूपये तक अनावर्ती। उपर्युक्त उपनियम 10(i) के अधीन निर्दिष्ट रकम से अधिक।

9. **सहायता अनुदान की रकम का आहरण :–**

इन नियमों के अधीन मंजूर हो गयी रकम, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा आहरित की जायेगी तथा प्राप्तिकर्ता की उससे उचित रसीद प्राप्त करने के पश्चात् संदत्त की जायेगी।

10. **वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान मंजूर करने की शर्तें –**

Scanned with OKEN Scanner

इन नियमों के अधीन कोई भीं अनुदान तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राप्तिकर्ता निम्नलिखित शर्तो और ऐसी अन्य शर्तो पर सहमत न हो जायें जो राजस्थान सरकार के खेल विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित की जायें –

1. किसी संस्था / व्यक्ति को अनुदान या वित्तीय सहायता का संदाय इस परन्तु के अधीन होगा कि अपेक्षित बजट उपलब्ध राज्य विधान मण्डल द्वारा मंजूर कर दिये गये है।
2. कि रकम का उपयोग उसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह मंजूर की गयी है।
3. कि रजिस्ट्रार/चार्टर्ड लेखाकार या किसी ऐसी अन्य ऐजेन्सी, जिसके लिए राज्य सरकार का युवा मामले एवं खेल विभाग सहमत हो, द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित लेखें संस्था / संगठन द्वारा उस वित्तीय वर्ष जिसमें वह मंजूर किया गया है, की समाप्ति के दों माह के भीतर प्रस्तुत कियें जायेंगें।
4. आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षरित उपयोजन प्रमाण–पत्र, संदाय की तारीख से 3 माह में भीतर या अधिक से अधिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राजस्थान सरकार के खेल विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि ऐसी अवधि सरकार के खेल विभाग द्वारा विनिर्दिष्टतः सम्यक रूप से बढा दी गयी हों। पुरस्कार राशि प्राप्त करने पर खिलाडियों द्वारा उपयोजन प्रमाण पत्र ना दियें जाने की छूट प्रदान की जायेगी।
5. किसी व्यक्ति को अनुदान/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या मंत्री, खेल विभाग को विहित प्रपत्र में करना होगा जिसमें व्यय का विवरण और स्पर्धा में उसके भाग लेने का प्रमाण–पत्र तथा उसके पिछलें प्रदर्शनों का विवरण होगा।
6. कि संस्था के लेखें भारतीय संपरीक्षा विभाग या राजस्थान सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारीं के निरीक्षण के लिए खुलें रहेंगें।
7. कि अनुपयोगिता रकम, यदि कोई हो, उपयोजन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर या जिन वित्तीय वर्ष में अनुदान मंजूर किया गया है उसकी समाप्ति से पूर्व, जो भीं पहलें हो, राजस्थान सरकार के खल विभाग को प्रतिदत्त करनी होंगी।
8. कि संस्था की प्रतियोगिता /टूर्नामेन्ट / समारोह इत्यादि आयोजित करने से पर्याप्त समय पूर्व प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव या मंत्री, खेल विभाग को अनुदान के लिए विहित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
9. संस्था, वित्तीय सहायता/ सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए विहत प्रारूप में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगीं :–
   (i) संस्था/संगठन/क्लब इत्यादि के नवीनतम पदाधिकारियों के नामों के सहित संगठन के संविधान की प्रति।
   (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
   (iii) पिछलें 3 वर्षो के क्रियाकलापों का विवरण।
   (iv) पिछलें 3 वर्षो का आय–व्यय विवरण।
   (v) जिस प्रयोजन के लिए सहायता का आवेदन किया गया है, उसकी आय–व्यय का प्राक्कलन।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) प्रत्येक कार्यक्रम के प्राक्कलित व्यय के सहित चालू वर्ष के कार्यक्रम पर एक टिप्पणी।

10. कोई अन्य शर्त जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित करे।

11. वित्तीय सहायता/ सहायता अनुदान मंजूर करने की शर्तें– बजट घोषणा वर्ष 2020–21 की सं. 71 के अनुसार ओलम्पिक खेलों में खिलाडियों द्वारा स्वर्ण पदक पर रू. 3 करोड, रजत पदक पर रू. 2 करोड एवं कांस्य पदक पर रू. 1 करोड एवं एशियाई/कॉम्नवैल्थ में खिलाडियों द्वारा स्वर्ण पदक पर रू. 1 करोड, रजत पदक पर रू. 60.00 लाख एवं कांस्य पदक पर रू. 30.00 लाख माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन पश्चात् देय होगा।

12 विशेष परिस्थितियों में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अभिशंषित करें कि किसी पंजीकृत संस्था से प्रतियोगिता आयोजित कराया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में इन नियमों के अन्तर्गत सहायता देने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

11. निर्हरता :–

ऐसी, किसी संस्था/व्यक्ति को, जो अनुदान की किसी भीं शर्त का अनुपालन करने में विफल रहा है या जिसने सरकार द्वारा मंजूर की गयी रकम का दुरूपयोग किया है इन नियमों के अधीन भविष्य में कोई अनुदान तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि विफलता के कारण, मंजूरी प्राधिकारी के समाधान हेतु स्पष्ट न कर दिये गयें हो।

ऐसे मामलों में, जहाँ अनुदान उसी अवधि और उसी कियाकलाप के लिए खेल विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग /ऐजेन्सीं से प्राप्त कर लिया गया हो, खेल विभाग और अनुदान मंजूर करने के प्रश्न पर विचार प्रत्येक मामलें के गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा।

12. छूट :–

सरकार इन नियमों के अधीन अनुदान की शर्तों में किसी भीं शर्त को किसी भीं व्यष्टिक मामलें में शिथिल कर सकेगी।

13. अनुदान स्वीकृत कराने हेतु शर्तें :–

1. किसी संस्था/व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत कराने का आधार ऐसी संस्थाऐं उन्हें सौंपे गये कार्यों/उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए अनुभव व प्रबन्धकीय योग्यता रखते हों तथा राशि का फलदायक रूप से उपयोग करने में सक्षम हो तथा वांछित प्रयोजन हेतु राशि उपयोग लेने तथा पारदर्शी प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा प्रभावकारी एवं निरन्तर जांच कराने का तन्त्र भी विकसित किया हो।
2. अनुदान हेतु चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया हेतु खेल विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मानदण्ड निर्धारित किये जावेंगे।
3. अनुदान की राशि उस वर्ष में खर्च की संभावना के अनुसार स्वीकृत की जावेगी।
4. अनुबंध की राशि जारी कराने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट–9) बन्ध पत्र प्रस्तुत कराना होगा। बन्ध पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा वहन की जावेगी। अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त निकाय को बन्ध पत्र प्रस्तुत कराने की

Scanned with OKEN Scanner

बाध्यता नहीं रहेगी अथवा सरकार द्वारा किसी संस्था को बन्ध पत्र के विकल्प प्रारूप (MoU) करने अथवा बन्ध पत्र व विकल्प प्रारूप से भी निर्मुक्त किया जा सकता है।

5. संस्था से अनुदान भुगतान से पूर्व इस आशय की घोषणा भी ली जानी है कि उसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्त्रोत/सरकार/संस्थान से सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
6. अनुदानित संस्था को अनावर्ती खर्चों के लिए स्वीकृत राशि यथा भवन निर्माण, उपकरणों का क्रय, खेल स्टेडियम का निर्माण का किसी भी तरह के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा ऐसी सम्पत्ति को राज्य सरकार के स्वत्व (title) के अधीन ही क्रय किया जावेगा तथा ऐसी सम्पत्ति के निस्तारण पर प्राप्त राशि राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार परिसम्पत्तियों को स्वीकृति से भिन्न प्रयोजन हेतु व्ययनित नहीं किया जावेगा, भारग्रस्त नहीं किया जावेगा तथा अन्य कार्यों हेतु उपयोग नहीं लिया जावेगा।
7. सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान के लिए राजस्थान खेल परिषद को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 285(3) के अनुसार उपयोजन प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।
8. अनुदान स्वीकृति उपरान्त किसी भी प्रकरण में बन्धपत्र को प्रभावी कराये जाने की बाध्यता नहीं होगी तथा बिना किसी कारण बताये प्रशासनिक आधार पर बन्धपत्र को निरस्त कराये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
9. युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान की शर्तों, प्रतिबंधों, मानदण्डों संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में प्रमुख, युवा मामले एवं खेलकूद विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
10. न्यायिक प्रकरणों में क्षेत्राधिकारी जयपुर शहर ही रहेगा।

आदेश से,

(रामबाबू सैनी)
शासन उप सचिव,

Scanned with OKEN Scanner